




फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, भीण्डर जिला
उदयपुर(राज0)

प्रार्थी..... तुलसी दास विपक्षी..... कांतू दास
किस्म मुकदमा..... 188 R.T.A. पत्रावली संख्या..... 04/20 (वि.प्र.प.स.न.)

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षरवादी / प्रतिवादी / गवाह / आदेश पालनार्थ आदेशांक व दिनांक
10.11.21	<p>पत्रावली आज उपखण्ड कार्यालय वल्लभनगर से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक: प.12/3/0 राज./विविध/2021/1678 दिनांक 10.09.2021 से प्राप्त हुई जिसमें संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.05.2021 द्वारा उपखण्ड कार्यालय भीण्डर का सृजन किया जाकर इस उपखण्ड कार्यालय भीण्डर में तहसील भीण्डर व कानोड को शामिल किया गया। उपखण्ड कार्यालय भीण्डर में तहसील क्षेत्र भीण्डर व कानोड से संबंधित समस्त राजस्व वाद व संबंधित न्यायालय की पत्रावलिया दायरशुदा व दायर होने वाली पत्रावलिया संबंधित है। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के आदेश क्रमांक 244 दिनांक 28.09.2021 द्वारा उपखण्ड भीण्डर के क्षेत्राधिकार में आने वाली सम्पूर्ण पत्रावलियों को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय वल्लभनगर से भीण्डर स्थानान्तरित की गई है। अतः पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारो/अधिवक्तागण को सूचना पत्र जारी है। पत्रावली दिनांक.....02.10.22 को अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हो।</p>	
02/03/22	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उ.प./ उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम दिनांक.....21/07/22 को पेश हो।</p>	<p>अ.हीरादास वादी तुलसी दास प्रतिवादी कांतू दास  </p>
21/7/22	<p>पत्रावली पेश हुई। अधि. वादी मप वादीगण अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। संप्रपक्ष 5 Pm हो चुका है। अतः वादीगण</p>	

दिनांक	कार्यवाही विवरण
	<p> मय अधिवक्ता द्वारा अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अल्प दायरी / अल्प पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्तापत्नी फॉसल शुभार होकर नम्बर से ऊप हो। निर्णय सुझाया गया। </p> <p style="text-align: right;">  21/3/22 </p>

33-20-20